उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-442/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(115)-2020

लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना सं0-क0नि0-2-177/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2019 दिनांकः 22 जनवरी, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो कि निम्न तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित हैं, और जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, किन्तु उक्त तालिका के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के उपवंधों के अनुसार संदेय विलम्ब शुल्क की रकम उस कर अवधि के लिए, अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कर अवधि है; अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं. (1)	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग** (2)	**कर अवधि** (3)	**शर्त** (4)
1	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय	फरवरी, 2020,	यदि **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में

	वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो और 5 करोड़ रुपये तक हो।	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि **प्ररूप जीएसटीआर3-ख** में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है I”

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 मार्च 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

आज्ञा से,

Asinha

(आलोक सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव